

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 328/2016(आरसीएमएस संख्या : 2016/00307)
सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. कृष्ण मुरारी पुत्र स्व० श्री नाथू जाति-ब्राह्मण गोड़, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
2. कुंजबिहारी पुत्र स्व० श्री नाथू जाति-ब्राह्मण गोड़, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
3. रामस्वरूप पुत्र स्व० श्री नाथू जाति-ब्राह्मण गोड़, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
4. ओमप्रकाश पुत्र स्व० श्री नाथू जाति-ब्राह्मण गोड़, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
5. भंवरी देवी पत्नी स्व० श्री नाथू जाति-ब्राह्मण गोड़, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
6. मु० रामज्यानकी पत्नी स्व० श्री भैरूलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
7. सत्यनारायण पुत्र स्व० श्री भैरूलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
8. विष्णु कुमार पुत्र स्व० श्री भैरूलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
9. राधेश्याम पुत्र स्व० श्री नन्दलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
10. रमेश पुत्र स्व० श्री नन्दलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
11. कमल पुत्र स्व० श्री श्रवणलाल पौत्र स्व० श्री नन्दलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
12. प्रभाती पत्नी श्री श्रवणलाल पुत्रवधू स्व० श्री नन्दलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
13. विमला पुत्री श्री श्रवणलाल पौत्री स्व० श्री नन्दलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
14. जगदीश पुत्र स्व० श्री सीताराम पौत्र स्व० श्री नन्दलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
15. मनोज पुत्र स्व० श्री सीताराम पौत्र स्व० श्री नन्दलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
16. ममता पुत्र स्व० श्री सीताराम पौत्री स्व० श्री नन्दलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
17. सविता पुत्र स्व० श्री सीताराम पौत्री स्व० श्री नन्दलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
18. शान्ती देवी पत्नी स्व० श्री सीताराम पुत्रवधू स्व० श्री नन्दलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-ग्राम भम्भौरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 सपटित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)



उपस्थिति :-

1. परोकार सरकार।
2. श्री चन्द्रप्रकाश जोशी, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 18 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 23.12.2019

तहसीलदार, सांगानेर द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम भम्भौरिया की गत आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 06 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 609 रकबा 0.04 हे0 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-34 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री सीताराम जी मजकूर तथा कॉलम संख्या 5 में नाथुलाल पुत्र भोरीलाल हि0 1/3 भोरीलाल पुत्र गोपीलाल हि0 1/3 नन्दलाल पि0मु0 सुरजमल हि0 1/3 अकवाम ब्रा0 गौड साकिन देह मु0क0 दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के बजाय वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई जो पुनः माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रर्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभय-पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् परोकार ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-34 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री सीताराम जी मजकूर तथा कॉलम संख्या 5 में नाथुलाल पुत्र भोरीलाल हि0 1/3 भोरीलाल पुत्र गोपीलाल हि0 1/3 नन्दलाल पि0मु0 सुरजमल हि0 1/3 अकवाम ब्रा0 गौड साकिन देह मु0क0 के नाम दर्ज थी। यह आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2020-2023, 2024-2027 व 2036-2039 के कॉलम संख्या 4 नाम काश्तकार मय पिता का नाम जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप में मिसल बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 5 अनुसार दर्ज कर दी गई। भू-प्रबन्ध अवधि 01.07.1989 से 30.06.2009 में गत खसरा नम्बर 228 रकबा 06 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 609 रकबा 0.04 हे0 बने हैं जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई

नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थीगण के नाम हस्तानान्तरित/दर्ज राजस्व अभिलेख



कर दी गई जो अनुचित है और बिना वैद्य और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त है अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज की जावे।

अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 18 के विद्वान् अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश जोशी का कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 228 जिसके हाल खसरा नम्बर 609 है, यह आराजी कभी भी मन्दिर की नहीं रही है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय भी वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के बुजुर्गान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। माफी का इन्द्राज भू-प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज कर दी, जो अवैध है। रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के साथ माफी सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल मात्र भू-प्रबन्ध विभाग की गलती के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। समस्त माफियां राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एवं रिज्यूम्शन आफ जागीर एक्ट, 1952 के अन्तर्गत रिज्यूम हो गई है और काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वादग्रस्त आराजी मूर्ति की खुदकाश्त आराजी नहीं है। वादग्रस्त आराजी कभी माफी में नहीं रही है। मूर्ति अप्रार्थी की पारिवारिक मूर्ति है जिसकी पूजा का अधिकार केवल अप्रार्थीगण को ही है। खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने के लिए धारा 82 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। एक दीर्घ अवधि 60-70 वर्ष पश्चात् खातेदारी को निरस्त करना ट्रेवस्टी ऑफ जस्टिस होगा। अतः रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र ड्रॉप फरमाया जावे।

हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त भू-प्रबन्ध (सैटलमेंट) विभाग के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015-2034 में माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित है। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैद्य अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। नाबालिग माफी मन्दिर श्री सीताराम जी की विवादग्रस्त आराजी को किसी व्यक्ति द्वारा काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति का कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरीत माफी मन्दिर श्री सीताराम जी की भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2020-2023, 2024-2027 व 2036-2039 में निजी खातेदारी तत्पश्चात् वर्तमान में जमाबन्दी 2058-61 में अप्रार्थीगण के नाम शून्य आधारित व बिना किसी सक्षम

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 328/2016 (आरसीएमएस संख्या: 2016/00307), सरकार बनाम कृष्ण मुरारी वगै०

अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य है और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक है अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में स्वीकार किये गये नामान्तरकरणों व जमाबन्दियों में किये गये इन्द्राज निरस्त करने तथा वापिस माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारों को दिनांक 24.03.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.12.2019 को सुनाया गया।



बति कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर